

"मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी

जिला-

विषय :- "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन ।

आवेदक का नाम:-.....

पिता/पति का नाम :-.....

ग्राम/टोला :-....., पंचायत :-.....

कोटि :- उम :-..... पेशा :-

मोबाईल नम्बर :- आधार नं0 :-

बैंक खाता सं0 :-..... बैंक का नाम :-.....

IFSC CODE :-.....

1. मुझे 01.01.1996 के पूर्व गुच्छ समूहों में आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान की गई थी/मेरे आवास का निर्माण कराया गया था ।

2. गुच्छ समूह में निर्मित मेरा आवास वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और मैं इसमें आवासीय होने के लिए विवश हूँ क्योंकि पूर्व की योजना के अंतर्गत आवास का लाभ पाने के कारण मैं इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं अन्य किसी आवासीय योजना का लाभ पाने की पात्रता से वंचित हूँ ।

3. मैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता/रखती हूँ।

4. मैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त होने पर स्वीकृत्यादेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपने आवास का निर्माण करूँगा/करूँगी ।

अनुरोध है कि मुझे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध करने की कृपा की जाय।

अनु0:- 1. आधार कार्ड की छायाप्रति

2. बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति

विश्वासभाजन

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान)

आवेदक का नाम :-.....

पता :-.....

.....

.....

स्वीकृत्यादेश

दिनांक:-

स्वी0सं0.....

नाम:-

SL. No.

जॉब कार्ड सं0

ग्राम

पंचायत-

प्रखण्ड-

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण की स्वीकृति

- 1 जनवरी 1996 से पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गुच्छ समूहों में निर्मित जीर्ण-शीर्ण आवास की सूची के आधार पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आपको आवास निर्माण हेतु 1,20,000 (एक लाख बीस हजार) रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाती है।
- आपके द्वारा निर्धारित स्थल पर आवास निर्माण हेतु देय सहायता राशि आवास निर्माण की निर्धारित स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के आधार पर तीन किस्तों में विमुक्त की जाएगी।

किस्त	भुगतान का स्तर	सहायता राशि
प्रथम किस्त	स्वीकृति के साथ	40,000/-
द्वितीय किस्त	प्लिंथ स्तर के बाद	40,000/-
तृतीय किस्त	छत ढलाई के बाद	40,000/-

3. आवास का निर्माण नियमानुसार कम-से-कम 25 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में किया जाएगा, जिसमें आवासीय कमरा एवं स्वच्छ रसोईघर का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
4. आवास का निर्माण भुकम्परोधी एवं आपदारोधी होना अनिवार्य है।
5. आवास निर्माण के अतिरिक्त शौचालय का निर्माण भी अनिवार्य होगा। शौचालय निर्माण हेतु पूर्व में अगर राशि प्राप्त नहीं किया गया हो तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान / मनरेगा से 12000/- रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।
6. आवास निर्माण के क्रम में आपके जॉब कार्ड के विरुद्ध 90 मानव दिवस की अकुशल मजदूरी उपलब्ध करायी जाएगी।
7. आपके द्वारा आवास निर्माण का कार्य प्रथम किस्त की सहायता राशि प्राप्ति के 12 माह के अन्दर पूर्ण किया जाएगा।
8. सहायता राशि प्राप्त करने के 12 माह के अंदर आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर प्राप्त की गई सहायता राशि की वसूली के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

जापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त,को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)